

'217856/2024

उत्तराखण्ड शासन
 आवास अनुभाग—2
 ई पत्रावली संख्या— 64586
 देहरादून: दिनांक: 13 जून, 2024।

अधिसूचनाप्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधित अधिनियम, 2013) की धारा—57 में प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग करके भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपविधि/विनियम बनाते हैं: अर्थात्:—

भवन निर्माण एवं विकास (संशोधन) उपविधि/विनियम, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) इस उपविधि/विनियम का संक्षिप्त नाम भवन निर्माण एवं विकास (संशोधन) उपविधि/विनियम, 2024 है। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
उपविधि/विनियम—7.3 (vii) (v) का संशोधन	1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उपविधि/विनियम —7.3 (vii) (v) एवं —7.3 (vii) (ix) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपविधि/विनियम रख दिया जायेगा। अर्थात्:—

क्र०सं०	विद्यमान उपविधि/विनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविधि/ विनियम	
		स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
1.	7.3 (VII) (V) : योजनान्तर्गत ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का प्रतिशत:— सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र	7.3 (VII)(V) : योजनान्तर्गत ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का प्रतिशत:— (a) सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी	

	<p>की नई आवासीय (भूखण्ड विकास क्षेत्र की नई आवासीय (भूखण्ड एवं ग्रुप हाउसिंग) योजनाओं में विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) योजनाओं प्रस्तावित कुल आवासीय इकाईयों में ग्रुप हाउसिंग (प्लॉटेड / भूखण्ड) (भू-खण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 15 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों में ग्रुप हाउसिंग (प्लॉटेड / भूखण्ड) उप विभाजन की स्थिति में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल में से का निर्माण तथा ऐसी पुनरीक्षित परियोजनायें, जिनमें इकाई वृद्धि प्रस्तावित है, में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पर 15 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना अनिवार्य होगा।</p> <p>(b) ग्रुप हाउसिंग (फ्लैट) की दशा में कुल आच्छादित क्षेत्रफल (Total Coverd Area) को प्रति आवासीय इकाई औसत क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 से विभाजित कर आवासीय इकाईयों की गणना की जायेगी। इस प्रकार आगणित इकाईयों के सापेक्ष 15 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।</p> <p>(c) ऐसी पुनरीक्षित परियोजनायें, जिनमें वृद्धि प्रस्तावित है, में उपरोक्त (a) अथवा (b) के अनुसार 15 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।</p>
2.	<p>7.3(VII)(V) (I) : एकल आवासीय भवन / Multiple Units इन प्राविधानों से मुक्त होंगे। उप विभाजन / फ्लैट की आवासीय परियोजना पर यह प्राविधान लागू होंगे।</p> <p>7.3(VII)(V) (I) : एकल आवासीय भवन / Multiple Units इन प्राविधानों से मुक्त होंगे। उप विभाजन / फ्लैट की आवासीय परियोजना पर यह प्राविधान लागू होंगे।</p>

<p>3. 7.3(VII)(V) (II) :</p> <p>आवासीय योजनाओं में ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण यथासंभव उसी स्थल पर अथवा विकल्प के रूप में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु मूल परियोजना से 5.00 किमी की परिधि के अन्तर्गत निर्माण किया जा सकेगा। ऐसे स्थलों को नियोजन की दृष्टि से उपयुक्तता का परीक्षण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं में दिये जाने वाले उक्त प्राविधान, मूल परियोजना से संबद्ध न होकर स्वतंत्र रूप से दिये जायेंगे।</p> <p>5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की परियोजनाओं में उक्तानुसार यदि भवनों का निर्माण सम्भव न हो, तो उसके एवज में विकासकर्ता द्वारा "शेल्टर फण्ड" देय होगा अर्थात ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण करने अथवा "शेल्टर फण्ड" आदि करने में से कोई एक विकल्प चुनने के लिए विकासकर्ता स्वतंत्र होगा।</p>	<p>7.3(VII)(V) (II) :</p> <p>आवासीय योजनाओं में ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण यथासंभव उसी स्थल पर अथवा (a) मैदानी क्षेत्रों में 20 हेक्टेयर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाओं में ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाया जाना अनिवार्य होगा। (b) अन्य परियोजनाओं में विकासक ई0डब्ल्यू0एस0 अथवा शेल्टर फण्ड का विकल्प चुन सकेगा। (i) विकासक ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना हेतु प्राविधानित भूखण्ड क्षेत्रफल पर/मूल परियोजना स्थल पर अथवा उस स्थल से बाहर 5.00 किलोमीटर की परिधि में ई0डब्ल्यू0एस0 ईकाइयों का निर्माण कर सकेगा। (ii) ऐसे स्थलों को नियोजन की दृष्टि से उपयुक्तता का परीक्षण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। (iii) ऐसी परियोजनाओं में दिये जाने वाले उक्त प्राविधान, मूल परियोजना से संबद्ध न होकर स्वतंत्र रूप से दिये जायेंगे। (iv) 5.00 किलोमीटर की परिधि में निर्मित होने वाली परियोजनाओं के एक से अधिक विकासक, संयुक्त रूप से उनके मूल परियोजनाओं के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजनाओं/आवासों हेतु प्राविधानित भूखण्ड क्षेत्रफल पर मूल परियोजनाओं के किसी स्थल पर अथवा उन परियोजनाओं के 5.00 किलोमीटर की</p>
--	--

परिधि में ई0डब्ल्यू0एस0 इकाइयों का निर्माण कर सकेगा।

(v) ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण भूतल एवं उपरी तीन तल तक अनुमन्य होगा।

परन्तुक

विकासक, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम के प्राविधानों के अनुसार, सामान्य सामूहिक आवासों (ग्रुप हाउसिंग) की भाँति भवन के तलों एवं भवन की ऊँचाई के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना/आवासों का निर्माण निम्नलिखित प्राविधानों का अनुपालन करने के आधार पर कर सकेगा।

- विकासक को ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों हेतु Lift का प्राविधान करना होगा।

- विकासक द्वारा 20 वर्षों की अवधि हेतु Lift के संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) के लिए Lift के संचालक/संस्थापक/कम्पनी के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

- 20 वर्षों की अवधि के पश्चात् सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा Lift का संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) किया जायेगा।

- विकासक द्वारा Lift के संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) किये जाने में असमर्थता प्रकट किये जाने की दशा में, विकास द्वारा 20 वर्षों की अवधि हेतु Lift के संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित प्राधिकरण में जमा करना होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा Lift का संचालन एवं अनुरक्षण (AMC) किया जायेगा।

(vi) दिनांक 30.03.2016 से इस उपविधि के प्राविधानों के प्रवृत्त होने की अवधि के मध्य निर्मित/स्वीकृत

मूल परियोजनाओं के सापेक्ष विकासकद्वारा निर्मित ई0डब्ल्यूएस० ईकाइयों की भारवहन क्षमता (load carrying capacity), स्ट्रक्चरल सेफ्टी (संरचनात्मक सुरक्षा) एवं डिजाइन इत्यादि का प्राधिकृत संस्था से परीक्षण कराने उपरान्त प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में अनुमन्य भवन के तलों एवं भवन की ऊँचाई के सापेक्ष भवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार भवन के तलों एवं भवन की ऊँचाई तक ई0डब्ल्यूएस० ईकाइयों का पुनर्निर्माण/पुनर्विकास कर सकेगा।

4.

स्पष्टीकरण:- "शेल्टर फीस" का तात्पर्य $\text{₹}0\text{डब्ल्यू०एस०}$ हेतु 15 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा देय फण्ड से है, जिसकी गणना संबंधित योजना में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की कुल संख्या के सापेक्ष $\text{₹}0\text{डब्ल्यू०एस०}$ (25 वर्गमीटर प्रति इकाई) के भू-आच्छादन जिसकी गणना भू-तल पर $\text{₹}0\text{डब्ल्यू०एस०}$ श्रेणी हेतु न्यूनतम G+3 फारमेट पर भू-तल पर अपेक्षित इकाईयों अथवा न्यूनतम 4 इकाई, जो भी अधिक हो, के क्षेत्रफल के आधार पर आगणित होगी, का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित किये गये भू-आच्छादन के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्य आगणित होगा। साथ ही $\text{₹}0\text{डब्ल्यू०एस०}$ हेतु अपेक्षित कुल इकाईयों के भवन के निर्माण एवं विकास लागत लोक निर्माण विभाग

शेल्टर फण्ड की गणना :

ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों के निर्माण न किये जाने के विकल्प के रूप में शेल्टर फण्ड जमा करने का चयन करने की दशा में शेल्टर फण्ड की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

(a) "शोल्टर फण्ड" का तात्पर्य ई०डब्ल्यू०एस० हेतु 15 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा देय फण्ड से है।

(b) सर्वप्रथम ई०डब्ल्य०एस० आवासीय इकाईयों की गणना की जायेगी।

(c) शेल्टर फण्ड की गणना हेतु प्रति इकाई भूखण्ड 25 वर्ग मी० वांछित होगा तथा भूखण्ड का मूल्य मूल परियोजना स्थल हेतु लागू आवासीय सर्किल दर के आधार पर आगणित किया जायेगा।

(d) डी०एस०आर० दर 2021 के अनुसार ई०डब्ल्यू०एस० की निर्माण लागत रु० 7.60 लाख प्रति इकाई

856/2024

द्वारा चतुर्थ श्रेणी आवास हेतु होगी।
निर्धारित प्लिंथ एरिया के आधार पर शेल्टर फण्ड के रूप में जमा की जायेगी।

परियोजना हेतु अपेक्षित कुल ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई संख्या के सापेक्ष यदि आंशिक रूप में इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया हो, तो शेष इकाई के निर्माण के एवज में शेल्टर फण्ड लेते हुए परियोजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

(e) शेल्टर फण्ड की गणना, तत्समय प्रचलित डी0एस0आर0 दरों के अनुसार प्रति इकाई निर्माण लागत मान कर ही की जायेगी।

(f) प्रति इकाई भूमि मूल्य एवं निर्माण लागत के योग की धनराशि से तत्समय प्रचलित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (ए0एच0पी0 घटक) हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ई0डब्ल्यू0एस0 आवास हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य को घटाने उपरान्त अवशेष धनराशि प्रति इकाई शेल्टर फण्ड के रूप में विकासक द्वारा देय होगी।

(g) परियोजना हेतु अपेक्षित कुल ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई संख्या के सापेक्ष, यदि आंशिक रूप में इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया हो, तो शेष इकाई के निर्माण के एवज में शेल्टर फण्ड लेते हुए परियोजना की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(h) शेल्टर फण्ड का विकल्प दिनांक 30.03.2016 से इस उपविधि के प्राविधानों के प्रवृत्त होने की अवधि के मध्य स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष भी समय-समय पर ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों / इकाईयों हेतु प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनुमन्य ईकाईयों के लिये भी तत्समय प्रचलित सर्किल दर एवं डी0एस0आर0 दर के अनुसार आंकलित भूखण्ड का मूल्य एवं ई0डब्ल्यू0एस0 की प्रति इकाईदर के अनुसार कुल निर्माण लागत के योग की धनराशि से तत्समय प्रचलित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (ए0एच0पी0 घटक) हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ई0डब्ल्यू0एस0

5.	<p>शेल्टर फण्ड का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-</p> <p>क- नवीन परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की देयता निम्नवत् होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शेल्टर फण्ड की आंकलित धनराशि 3.00 करोड़ तक होने पर मानचित्र स्वीकृति के समय 25-प्रतिशत देय होगा तथा 50 प्रतिशत की धनराशि 04 समानुपातिक किश्तों में देय होगी, शेष 25 प्रतिशत की धनराशि पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा। 2. शेल्टर फण्ड की आंकलित धनराशि 03 करोड़ से अधिक होने पर उक्त धनराशि 08 समान आनुपातिक किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त मानचित्र स्वीकृति के समय तथा अंतिम किश्त का भुगतान पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) निर्गत किए जाने से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा। ख- पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की देयता निम्नवत् होगी:- <p>25 प्रतिशत की धनराशि विकासकर्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय देय होने के कारण पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की वर्तमान में आंकलित धनराशि का 50 प्रतिशत 04</p>	<p>आवास हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य को घटाने उपरान्त अवशेष धनराशि प्रति इकाई अनुसार विकासक द्वारा शेल्टर फण्ड जमा किया जा सकेगा।</p> <p><u>शेल्टर फण्ड का भुगतान :</u></p> <p>(a) दिनांक: 30.03.2016 से इस उपविधि/विनियम के प्रवृत्त होने की अवधि के मध्य निर्मित/स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष विकासक द्वारा शेल्टर फण्ड के विकल्प हेतु अनुरोध किये जाने पर सम्बन्धित प्राधिकरण/परिषद् द्वारा शेल्टर फण्ड आगणित किया जायेगा।</p> <p>(b) शेल्टर फण्ड की 25 प्रतिशत धनराशि डिमाण्ड नोट प्रेषित करने की तिथि से 60 दिवस के अन्दर तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आगामी 03 त्रैमासिक किश्तों में जमा किया जा सकेगा।</p> <p>(c) निर्धारित समयांतरगत किश्तों की अदायगी न किये जाने पर देय तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।</p> <p>(d) मय ब्याज के शेल्टर फण्ड की धनराशि डिमाण्ड नोट प्रेषित करने की तिथि से 18 माह की अवधि के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(e) निर्धारित अवधि में भी मय ब्याज शेल्टर फण्ड की धनराशि जमा न करने पर प्राधिकरण/परिषद् द्वारा भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।</p> <p>(f) नवीन परियोजनाओं हेतु शेल्टर फण्ड का भुगतान मानचित्र स्वीकृति की तिथि से 02 माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आगामी 03 छमाही किस्तों में जमा किया जायेगा।</p> <p>(g) समय पर शेल्टर फण्ड की किश्तों</p>
----	--	---

समानुपातिक किरतों में देय होगी, शेष धनराशि पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

की अदायगी न किये जाने पर देय तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

(ii) मय ब्याज के शेल्टर फण्ड की धनराशि मानचित्र स्वीकृति की तिथि से 30 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में भी मय ब्याज शेल्टर फण्ड की धनराशि जमा न करने पर प्राधिकरण/परिषद् द्वारा भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(g) पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की देयता निम्नवत् होगी:

(i) 25 प्रतिशत की धनराशि विकासकर्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय देय होने के कारण पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की वर्तमान में आंकलित धनराशि 03 छमाही किश्तों में जमा किया जाएगा।

(ii) समय पर शेल्टर फण्ड की किश्तों की अदायगी न किये जाने पर देय तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

(iii) मय ब्याज के शेल्टर फण्ड की धनराशि मानचित्र स्वीकृति की तिथि से 30 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में भी मय ब्याज शेल्टर फण्ड की धनराशि जमा न करने पर प्राधिकरण/परिषद् द्वारा भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(h) आंशिक/पूर्ण, पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व शेल्टर फण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(i) शेल्टर फण्ड की शतांश का अनुपालन न किये जाने की दशा में मानचित्र को निलम्बित किया जा सकेगा तथा सुनवाई का अवसर

6.

नोट—उपरोक्तानुसार शेल्टर फण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि प्राधिकरण द्वारा एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे केवल ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० हाउसिंग के लिए भूमि के क्रय, भूमि विकास एवं भवन निर्माण और सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं के उपयोग में ही लाया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित समानुपातिक किश्तों का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जाएगा।

प्रदान करने के उपरान्त मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

शेल्टर फण्ड का प्रबन्ध :

(a) शेल्टर फण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि हेतु संबंधित प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के नाम से एक Escrow खाता खोला जायेगा। शेल्टर फण्ड से प्राप्त समस्त धनराशि इसी खाते में जमा की जायेगी। इस खाते का वार्षिक आंतरिक ऑडिट कराया जायेगा।

(b) इस धनराशि का उपयोग ई०डब्ल्य०एस० हाउसिंग के लिए भूमि—क्रय, भूमि—विकास एवं भवन—निर्माण तथा उसके लिये आंतरिक आधारभूत सुविधाओं के विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (ए०एच०पी०) की परियोजनाओं हेतु VGF के लिये ही उपयोग में ही लाया जायेगा। शेल्टर फण्ड की धनराशि का प्रयोग किसी भी दशा में उक्त प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजनों में नहीं किया जायेगा।

(c) राज्य सरकार द्वारा ई०डब्ल्य०एस० आवासीय परियोजनाओं/ ईकाइयों को विकसित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

(d) प्राधिकरण द्वारा भी ई०डब्ल्य०एस० आवासों का निर्माण किये जाने हेतु प्रचलित सर्किल दर पर भूमि का क्रय किया जा सकेगा।

(e) सर्किल दर पर भूमि की उपलब्धता न होने पर प्रचलित विधियों/ शासनादेशों के अनुरूप भूमि क्रय की जा सकेगी।

7.

7.3 (VII) (IX) :
भवनों के आवंटन की प्रक्रिया :

(i) प्राधिकरणों द्वारा निर्मित ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का आवंटन प्रचलित शासकीय नीतियों एवं प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

(ii) निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा निर्मित ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को निम्न समिति के माध्यम से किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उपाध्यक्ष, स्थानीय विकास प्राधिकरण — अध्यक्ष
 2. अपर जिलाधिकारी
 (वित्त / राजस्व)
 — सदस्य

3. सह युक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड
 — सदस्य

4. विकासकर्त्ता / उसके प्रतिनिधि
 — सदस्य

(iii) विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र के बाहर के समस्त क्षेत्रों में मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर

(f) प्राधिकरणों द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० आवासों को निर्मित किये जाने पर तत्समय प्रचलित आवास नीति के अनुसार उसे सभी प्रोत्साहन देय होंगे।

(g) राज्य सरकार, शेल्टर फण्ड का उपयोग अपरिहार्य परिस्थितियों में राज्य के किसी भी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कर सकती है।

7.3 (VII) (IX) :
भवनों के आवंटन की प्रक्रिया :

(i) प्राधिकरणों द्वारा निर्मित ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का आवंटन प्रचलित शासकीय नीतियों एवं प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

(ii) निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा निर्मित ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को निम्नलिखित समिति के माध्यम से किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उपाध्यक्ष, स्थानीय विकास प्राधिकरण — अध्यक्ष
 2. अपर जिलाधिकारी
 (वित्त / राजस्व)
 — सदस्य

3. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड
 — सदस्य

4. विकासकर्त्ता / उसके प्रतिनिधि
 — सदस्य

(iii) विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र के बाहर के समस्त क्षेत्रों में मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर

आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समिति का गठन किया जायेगा।

(iv) भवनों के आवंटन के पूर्व विकास प्राधिकरण/उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा मांग पंजीकरण किया जायेगा और भवनों का आवंटन उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रचलितनियमों के अनुसार किया जायेगा। समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों के पक्ष में हो।

(v) भवनों के आवंटन में प्रचलित शासकीय नीतियों के अनुसार आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(vi) भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् यह फ्री-होल्ड माना जायेगा, जिसके संबंध में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभी-होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश एक माह के अंदर जारी किया जाएगा। इस हेतु लाभार्थी द्वारा कोई भी फ्री-होल्ड शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके वारिसान को हस्तांतरित हो सकेगा।

(vii) आवंटियों द्वारा सीलिंग कार्स्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय विलेखन करायी जायेगी। विज्ञप्ति

विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समिति का गठन किया जायेगा।

(iv) ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का मानदण्ड एवं प्रति इकाई मूल्य तत्समय प्रचलित/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवास नीति/अन्य प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार होंगे।

(v) विकासक द्वारा रेरा पंजीकरण उपरान्त एवं प्लीच लेवल तक निर्माण पूर्ण करने के पश्चात् आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। बुकिंग विकासक द्वारा निर्धारित प्रचलित/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार होगी।

(vi) प्राप्त आवेदनों की जांच एवं स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।

(vii) भवनों के आवंटन के पूर्व विकास प्राधिकरण/उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा मांग पंजीकरण किया जायेगा और भवनों का आवंटन उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार किया जायेगा। समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों के पक्ष में हो।

(viii) तीन बार विज्ञप्ति प्रकाशन करने के उपरान्त भी, यदि कोई आवासीय ईकाई आवंटन हेतु शेष रह जाती है, तो इसके आवंटन हेतु संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार पुनः समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी। विज्ञप्ति

के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रकाशित होने के उपरांत भी, यदि कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी। कोई आवासीय इकाई आवंटन हेतु (viii) आवंटियों को केन्द्र/राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के "पहले आओ, पहले पाओ" की तर्ज अंतर्गत (पात्र होने की स्थिति में) पर संबंधित विकासक द्वारा किया जा रहा/अनुदान प्राप्त कराने में विकास सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(ix) भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही उनका आवंटन किया जा सकेगा, ताकि लाभार्थी के आवंटन की जानकारी रहे।

(x) आवंटन की तिथि के 03 साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।

(xi) भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी अर्थात् निर्माण में विलम्ब की स्थिति में मूल्य वृद्धि नहीं होगी।

(xii) भवन निर्माण की समानुपातिक अंदर जारी किया जाएगा। इस हेतु निर्माण की प्रगति के अनुसार जैसा लाभार्थी द्वारा कोई भी फ्री-होल्ड कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा, शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो भवन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। उसके जाएगा।

(xiii) आवंटन की तिथि से 03 साल में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात् डिफाल्ट की स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी एवं अनुबन्ध के अनुसार विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कोई आवासीय इकाई आवंटन हेतु (viii) आवंटियों के केन्द्र/राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के "पहले आओ, पहले पाओ" की तर्ज अंतर्गत (पात्र होने की स्थिति में) पर संबंधित विकासक द्वारा किया जा रहा/अनुदान प्राप्त कराने में विकास सकेगा।

(ix) भवनों के आवंटन में प्रचलित शासकीय नीतियों के अनुसार आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(x) भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा।

05 वर्ष के पश्चात् यह फ्री-होल्ड माना जायेगा, जिसके संबंध में विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री-होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश एक माह के

अंदर जारी किया जाएगा। इस हेतु निर्माण की प्रगति के अनुसार जैसा लाभार्थी द्वारा कोई भी फ्री-होल्ड कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा, शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो भवन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। उसके वारिसान को हस्तांतरित हो सकेगा।

(xi) आवंटियों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

(xii) आवंटियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत (पात्र होने की स्थिति में) ऋण/अनुदान प्राप्त कराने में विकास प्राधिकरण द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(xiii) भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ

होने के साथ ही उनका आवंटन किया जा सकेगा, ताकि लाभार्थी को आवंटन की जानकारी रहे।

(xiv) ई0डब्ल्यू0एस0 बनाये जाने की स्थिति में मूल परियोजना के निर्माण के समानांतर ही ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना का निर्माण भी किया जाना होगा।

(xv) मूल परियोजना का निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि से 36 माह अंतर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना/आवासों का निर्माण पूर्ण कर लाभार्थियों को आवास हस्तगत करने होंगे।

(xvi) मूल परियोजना का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना/आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(xvii) आवंटन की तिथि के 03 साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।

(xviii) भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी अर्थात् निर्माण में विलम्ब की स्थिति में मूल्य वृद्धि नहीं होगी।

(xix) आवंटी द्वारा भुगतान, Construction लिंक प्लान के तहत तत्समय प्रचलित/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवास नीति/अन्य कोई प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार होगा।

(xx) ई0डब्ल्यू0एस0 परियोजना/आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने पर मानचित्र निलम्बन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा सुनवाई

856/2024

का अवसर प्रदान करने के उपरान्त मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

(xxi) आवंटन की तिथि से 03 साल में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात् डिफाल्ट की स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी एवं अनुबन्ध के अनुसार विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Signed by Atar Singh
Date: 13-06-2024 12:16:45

(अतर सिंह)
अपर सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1—अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2—स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3—आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 4—उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून / हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त उपविधि को सम्बन्धित प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुए अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण के संशोधन / परिवर्तन / परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण तदविषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।
- 5—संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7—निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत उपविधि को असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में 50 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
- 8—निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 9—गार्ड फाईल।